कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी,
गोहर जिला मण्डी हि.प्र.।

संख्या: 1-5-GHR-AWW-AWH-Rectt .– दिनांक: 10.6.2025

अधिसूचना

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग हि.प्र द्वारा संचालित, समेकित बाल विकास सेवायें योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं को सुचारू रूप से सचालन/कार्यान्वयन हेतू, प्रदेश सरकार द्वारा बाल विकास परियोजना गोहर जिला मण्डी हि.प्र. .की निम्नलिखित पचायत मे उनके आगे दर्शाए गये आंगनवाडी केन्द्र में, आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका के पद भरने हेतू, इच्छुक स्थानीय महिला उमीदवारो से सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आंगनवाडी कार्यकर्ता को सरकार द्वारा मु0 10000/– रूपये एवम् आंगनवाडी सहायिका को मु0 5500/- रूपये व समय–समय पर निर्धारित दर पर प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

क्रसं0	ग्राम पंचायत का नाम	आंगनवाडी केन्द्र का नाम	पद का नाम	पर्यवेक्षक वृत का नाम	आवेदन करने की अंतिम तिथि	संबन्धित SDM
1	छपराहण	कूट	आंगनवाडी कार्यकर्ता	स्यांज	30-06-2025	SDM गोहर
2	लोट	गरारीगाड	आंगनवाडी सहायिका	जाछ	30-06-2025	SDM गोहर
3	तुन्ना	कुनासोट	आंगनवाडी सहायिका	जाछ	30-06-2025	SDM गोहर
4	धिश्ती	बड़ान	आंगनवाडी सहायिका	जाछ	30-06-2025	SDM गोहर
5	बैला	दलीकर	आंगनवाडी सहायिका	चैलचौक	30-06-2025	SDM गोहर
6	कांढी	दारण	आंगनवाडी सहायिका	सरोआ	30-06-2025	SDM गोहर

क. पात्रता संबंधी शर्तें:–

1. **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका हेतु पात्रताः**
   1. आंगनवाडी सहायिका के पद के लिए केवल महिला प्रार्थी ही पात्र है।
   2. प्रार्थी उस गांव या सम्बन्धित गांव (Feeding Villages) की सामान्य निवासी होनी चाहिए, जिस आंगनवाडी केन्द्र में रिक्त पद भरा जाना है।
   3. आंगनवाडी कार्यकर्ता / आंगनवाडी सहायिका कम से कम प्लस टू पास होनी चाहिए बी0 ए0 एवं एम0 ए0 पास महिलाओं को उच्च शिक्षा के अतिरिक्त अंक देय होगें।
   4. प्रार्थी की आयु 30.06.2023 को 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
   5. प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50000/– रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए

होंगे । चयन समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच पड़ताल के उपरान्त केवल पात्र पाए गए उम्मीदवार का ही साक्षात्कार लिया जाएगा ।

ग. **आवेदन पत्र के साथ जो अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करने हैं:-**

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व अधिकतम योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित छायाप्रति ।
2. परिवार की वार्षिक आय संबंधी प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित छायाप्रति ।
3. हिमाचली प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित छाया प्रति ।
4. अनुभव प्रमाण पत्र (जैसे-आंगनबाड़ी /सहायिका/बाल सेविका/बालबाडी अध्यापिका, नर्सरी अध्यापिका शिशु पालक ई0सी0सी0ई0 जिन्होने दस महीने तक कार्य किया होने की अनुप्रमाणित छाया प्रति ।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडी जाति/विकलगता संबंधी प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित छाया प्रति ।
6. नारी सेवा सदन की आवासिनी//बालिका आश्रम की अवासिनी /अनाथ /विधवा /परित्यक्ता / तलाकशुदा / शादीशुदा महिलाएं जिनके पति पिछले सात वर्षों से लापता हैं/ महिलाएं जिनको उनके पति द्वारा छोड़ा गया है व अपने माता पिता के साथ रह रही हो के प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
7. ऐसी विवाहित/अविवाहित महिला या लडकी जो अपने परिवार मे केवल दो पुत्रियो से सम्बन्धित हो । (बिना किसी लडके के जन्म वाले परिवार) से सम्बन्धित हो के प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
8. परिवार रजिस्टर की नकल,, जिसमे परिवार रजिस्टर मे दर्ज परिवार दर्शाया गया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया हो।

उपर्युक्त सभी प्रमाण प्रमाण पत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए होने चाहिए एवं उन्हें जारी करने की अवधि 6 माह से अधिक न हो या प्रमाण पत्र में दर्शायी तिथि तक ही मान्य मानी जाएगी।

10/6/25

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
गोहर जिला मण्डी (हि0प्र0)

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त- 2435-0266

दिनांक.. 10/06/2025

प्रतिलिपियां:-

1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हि0प्र0 शिमला-01 की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. उपमंडलाधिकारी(ना0) गोहर हि0 प्र0 की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. खण्ड विकास अधिकारी गोहर जिला मण्डी हि0 प्र0
4. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी शिमला को सूचनार्थ व व्यापक प्रचार हेतू प्रेषित है ।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, मण्डी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित है ।
6. पर्यवेक्षक वृत-चैलचौक, स्यांज, ~~खास्सी~~, जाच्छ ,सरोआ को इस आशय के साथ प्रेषित है वे उपरोक्त रिक्त पदों का व्यापक प्रचार करें।
7. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत-छपराहण, लोट, कांढी, तुन्ना, धिश्ती ,बैला को व्यापक प्रचार हेतू प्रेषित है
8. अध्यक्ष, पंचायत समिति की सेवा में सूचनार्थ व व्यापक प्रचार हेतू प्रेषित है ।
9. प्रैस संवाददाता, दैनिक भास्कर, दिव्य हिमाचल, पंजाब केसरी व अमर उजाला को प्रकाशन व व्यापक प्रचार हेतू प्रेषित है ।
10. नोटिस बोर्ड, उपमण्डलाधिकारी (ना0) गोहर , खण्ड विकास अधिकारी गोहर व बाल विकास परियोजना अधिकारी गोहर के कार्यालय में चस्पान हेतु।

10/6/25

बाल विकास परियोजना अधिकारी
गोहर जिला मण्डी (हि0प्र0)